



समक्ष श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, प्रधान बैठक,
गवालियर म.प्र।

निगरानी प्रकरण क्र. R-6459/2016

(24)
(25)

मेसर्स आर 4 ग्रुप फर्म,

कार्यालयः— प्लाट क. 44, होटल जी.के.पैलेस के पीछे,
एम.पी.नगर, भोपाल म.प्र।

2. लक्ष्मण जनियानी, पुत्र श्री रतन जनियानी,

निवासी— 2, निर्मल नर्सरी, बैंरागढ़, भोपाल म.प्र।

3. रतन कुमार आसवानी, पुत्र श्री उद्दाराम आसवानी,

निवासी— न्यू.बी—15 बैंरागढ़, भोपाल म.प्र।—00—

आवेदकगण।

विरुद्ध

1. लेक लैण्ड बिल्डर एण्ड डेव्हलपर्स,

भागीदार फर्म, द्वारा भागीदार वासिक हुसैन,
पुत्र श्री ए.एच.खान, कार्यालय— लेक पर्ल सेन्टर,
गोदरमउ, भोपाल म.प्र।

2. मेसर्स लक्ष्य रियल्टीज प्राइवेट लिमिटेड,

पंजीकृत कार्यालयः—एस.एफ—15, सी ब्लाक,
मानसरोवर काम्पलेक्स, होशांगाबाद रोड, भोपाल म.प्र।

3. संचालक, मनीष वर्मा, आत्मज रख. श्री ए.के.वर्मा,

निवासी— ए—72, शाहपुरा, भोपाल म.प्र।

4. संचालक मनीष मोटवानी आत्मज श्री रमेश मोटवानी,

निवासी— 112, पंचवटी कालोनी, एयरपोर्ट रोड, भोपाल म.प्र।

5. अनुविभागीय अधिकारी, संत हिरदाराम नगर,

बैंरागढ़ वृत्त, भोपाल म.प्र—00— प्रतिउत्तरदातागण।

आवेदन पत्र वास्ते माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन मे प्रकरण को सुनवाई पर लिया जाकर आगामी सुनवाई हेतु भोपाल बैठक मे प्रकरण रखे जाने बाबत्।

1. यह कि प्रतिउत्तरदाता फर्म के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 04.03.2016 के विरुद्ध याचिका क्र. डब्लू.पी.6459 / 2016 दायर की थी। जिसमे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.08.2017 से राजस्व मण्डल के आदेश को अपार्त कर प्रकरण मे पुनः से सुनवाई हेतु पक्षकारगण को आज दिनांक को उपस्थित होने के लिये निर्देशित किया है।

2. यह कि प्रकरण मे पक्षकारगण व प्रकरण मे विवादित सम्पत्ति दोनो का क्षैत्राधिकार भोपाल मे होने से पक्षकारो की सुविधा हेतु उक्त निगरानी प्रकरण को भोपाल बैंच मे सुनवाई हेतु नियत किया जाना प्रकरण के उचित निराकरण के लिये आवश्यक प्रकट होता है।

3. यह कि निगरानी प्रकरण के निराकरण के लिये माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश दिनांक 21.08.2017 कर प्रति संलग्न पालन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि निगरानी प्रकरण मे सुनवाई हेतु प्रकरण को

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 778-पीबीआर/2016 जिला भोपाल

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-02-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> अध्यक्ष</p> <p><i>[Signature]</i> A3C</p>	